कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बारांबकी

संख्यांक/1695–1702 /मान्यता/2021-2022 दिनांकः 10.05.2021

प्रबन्धक

अम्बिका स्कूल आफ एजुकेशन

दलसराय रामनगर, बाराबंकी।

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम 4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश संख्या 418/79–6–2013–18 एस(7)/89 दिनांक 05.04.2021 एवं सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के अनुमोदन दिनांक 08.05.2021 के प्रतिनिर्देश से मैं आपके विद्यालय को दिनांक 20.05.2022 से 21.05.2025 तक तीन साल की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से 12 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 12 के पश्चात मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा नर्सरी से 12 तक में (या यथास्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और

For Ambika School of Education
Manager

Principal
Ambika School of Education
Rani Bazar, Ramnagar

सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैफिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निकासित नही किया जायेगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नही किया जायेगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और

For Ambika School of Education

Manager

Principal
Ambika School of Education
Rani Bazar, Bikaner
Pin-334202

कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे तथा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24–1 के अधीन विनिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

7 अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियेाजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा और खण्ड शिक्षाधिकारी/उप बेसिक शिक्षाधिकारी के अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्याप्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष है

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है

पेयजल की सुविधा है

मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई है

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलायी जाएगी।

For Ambika School of Education

Manager

Principal
Ambika School of Education
Rani Bazar, Bikaner

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल को प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यश्टि व्यक्ति के समूह या संगम किन्हीं व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमें के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 03 /2013 है। कृपया इसे नोट कर लें ओर इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुविधा प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिल शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों को सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

For Ambika School of Education

Manager

Principal
Ambika School of Education
Rani Bazar, Ramnagar